

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 30] दिल्ली, अगस्त 5—अगस्त 11, 2011, बुधस्पतिवार/श्रावण 14—श्रावण 20, 1933 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 114,116,120]
No. 30] DELHI, AUGUST 5—AUGUST 11, 2011, THURSDAY/SRAVANA 14—SRAVANA 20, 1933 [N.C.T.D. No. 114,116,120]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अगस्त, 2011

सं. फा./4/2/2003-गृह सामान्य/3193.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू. 11011/2/74-यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं श्री राकेश शर्मा, तदर्थ दानिक्स अधिकारी, उप-खण्ड अधिकारी (मॉडल टाउन एवं कोतवाली) क्रमशः को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,
बी. एम. जैन, उप सचिव (गृह)

HOME (GENERAL) DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 10th August, 2011

No. F. 4/2/2003-HOME(G)/3193.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Rajender Prasad, Adhoc DANICS officer and Shri Rakesh Sharma, Adhoc DANICS officer, presently working as SDM's (Model Town & Kotwali) respectively to be the Executive Magistrate in the National Capital Territory of Delhi, till such time they hold the present post or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,
B. M. JAIN, Dy. Secy. (Home)

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 2 अगस्त, 2011

सं. 61/डी.एच.सी./राजपत्र/जी-14/विशेष महानगर दंडाधिकारी/2011.—इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीशगण निम्नलिखित विशेष महानगर दंडाधिकारियों/विशेष नगरपालिका दंडाधिकारियों (लिटिंग) को उनके नामों के समक्ष दर्शायी गई अवधि हेतु उनके कार्यकाल का सहर्ष विस्तार करते हैं :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	विस्तारित अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	ले. कमांडर (सेवानिवृत्त) शंकर सिंह	16-07-2011 से 15-01-2012
2.	श्री राम कुमार शर्मा	16-07-2011 से 18-08-2011 (65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर)
3.	श्री मनोहर लाल रलहन	16-07-2011 से 15-01-2012
4.	श्री सुभाष चन्द्र	16-07-2011 से 15-01-2012
5.	स्कवाड्रन लीडर (सेवानिवृत्त) के. एस. दिल्लीन	16-07-2011 से 14-09-2011 (65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर)
6.	ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) डी. आर. सहगल	16-07-2011 से 15-01-2012
7.	श्री ठाकुर दास	16-07-2011 से 01-01-2012 (65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर)
8.	श्री रवि दत्त कौशिक	16-07-2011 से 15-01-2012
9.	श्री शिव कुमार मल्होत्रा	16-07-2011 से 01-01-2012 (65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर)
10.	श्री नरसिंह सहरावत	16-07-2011 से 15-01-2012

(1)	(2)	(3)
11.	श्री जावेद असलम	16-07-2011 से 15-01-2012
12.	श्री अशोक कुमार गुलाटी	16-07-2011 से 15-01-2012
13.	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा	16-07-2011 से 15-01-2012
14.	श्री टी. एस. मुट्टी	16-07-2011 से 15-01-2012
15.	श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता	16-07-2011 से 15-01-2012

उपरोक्त अधिकारीगण दूसरे शनिवार के अवकाश को छोड़कर सप्ताह में छः दिन कार्य करेंगे एवं दिल्ली लघु अपराध (विशेष महानगर दंडाधिकारियों द्वारा विचारण) नियम, 1998 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार अवकाश के हकदार होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. एस. यादव, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd August, 2011

No. 61/DHC/GAZ/G-14/SPL.MM/2011.—Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Judges of this Court have been pleased to extend the term of the following Special Metropolitan Magistrates/Special Municipal Magistrates (Littering) for the period mentioned against their name :—

Sl. No.	Name of the Officer	Period of extension
(1)	(2)	(3)
1.	Lt. Cdr (Retd) Shankar Singh	16-07-2011 to 15-01-2012
2.	Mr. Ram Kumar Sharma	16-07-2011 to 18-08-2011 (date of attaining 65 years of age)
3.	Mr. Manohar Lal Ralhan	16-07-2011 to 15-01-2012
4.	Mr. Subhash Chander	16-07-2011 to 15-01-2012
5.	Sqn. Ldr (Retd) K. S. Dhillon	16-07-2011 to 14-09-2011 (date of attaining 65 years of age)

(1)	(2)	(3)
6.	Lt. Col (Retd) D. R. Sahgal	16-07-2011 to 15-01-2012
7.	Mr. Thakur Dass	16-07-2011 to 01-01-2012 (date of attaining 65 years of age)
8.	Mr. Ravi Dutt Kaushik	16-07-2011 to 15-01-2012
9.	Mr. Shiv Kumar Malhotra	16-07-2011 to 01-01-2012 (date of attaining 65 years of age)
10.	Mr. Nar Singh Sehrawat	16-07-2011 to 15-01-2012
11.	Mr. Javed Aslam	16-07-2011 to 15-01-2012
12.	Mr. Ashok Kumar Gulati	16-07-2011 to 15-01-2012
13.	Mr. Gopal Krishan Sharma	16-07-2011 to 15-01-2012
14.	Mr. T. S. Mutti	16-07-2011 to 15-01-2012
15.	Mr. Mahendra Kumar Gupta	16-07-2011 to 15-01-2012

The above named officers would work for six days a week with Second Saturday off and would be entitled to leave as per the provisions contained in Delhi Petty Offences (Trial by Special Metropolitan Magistrate) Rules, 1998.

By Order of the Court,

A. S. YADAV, Registrar General

कार्यालय, पंजीयक : सहकारी समितियाँ

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 5 अगस्त, 2011

सं. फा. 47/1311/दक्षिण/गु.हा./सह./4731.—दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम 3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, माउण्ट एवरेस्ट ग्रुप हाउसिंग सहकारी समिति लि. (1311 स. आ.) को धारा 37 (1) (ख) दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम 3, 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक श्री एस. के. बांगिया, सहायक महाप्रबंधक, एस. बी.आई. (सेवानिवृत्त) के कार्यकाल की अवधि दिनांक 1-6-2011 से 31-5-2012 तक बढ़ाई जाती है। प्रशासक की यह अवधि समिति के

प्रबंधक समिति के चुनाव होने तक अथवा उक्त तिथि तक जो भी पहले होगी की जाती है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

योगी राज, उप पंजीयक (सहकारी समितियाँ)

OFFICE OF THE REGISTRAR: COOP. SOCIETIES

NOTIFICATIONS

Delhi, the 5th August, 2011

F. No. 47/1311/S/GH/RCS/4731.—In exercise of powers conferred under section 127 of DCS Act, 2003, Lt. Governor Delhi is pleased to exempt the provision of section 37(1)(b) of DCS Act, 2003 and further extend the supersession of the Managing Committee of Mount Everest Coop. Group Housing Society Ltd. Regn. No. 1311/GH for another one year from 1-6-2011 to 31-5-2012. As such, the term of Shri S. K. Bangia (Retd. AGM, SBI), Administrator is extended for one year from 1-6-2011 to 31-5-2012 or till election are held whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

YOGI RAJ, Dy. Registrar (Cooperative Societies)

दिल्ली, 10 अगस्त, 2011

सं. फा. 6/14/85/स्था./सह./पार्ट फाइल 3506-13.—दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम 2004 का 3) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित दिल्ली सहकारी समितियाँ नियमावली, 2007 के नियम 3 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एल. आर. मीणा, सहायक पंजीयक सहकारी समितियाँ को उपरोक्त अधिनियम के अधीन कार्य को निपटाने के लिए उपरोक्त पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायताार्थ नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश एवं नाम से,

पी. आर. मीणा, विशेष सचिव (सहकारिता)

Delhi, the 10th August, 2011

No. F. 6/14/85/Estt./Coop./P.F. 3506-13.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) read with Rule 3(1) of DCS Rules, 2007, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. L. R. Meena as Assistant Registrar Cooperative

Societies, Delhi, to assist the Registrar in discharging his duties and functions under the aforesaid Act and Rules with effect from the date he assumed charge of the said office.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,
P. R. MEENA, Spl. Secy. (Coop)

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 5 अगस्त, 2011

सं. फा. 10(2019)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15319.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वरुण बेवरेज (इण्टरनेशनल) लि., एफ-2/7, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110 020 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,24,99,80,000 मूल्य के कम्पल्सरी कनवर्टीबल डिबेन्चर्स जिनकी पृथक संख्या 1 से 1249980 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 5th August, 2011

F. No. 10 (2019)/COS(HQ)/Cons. Duty/15319.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Varun Beverages (International) Ltd., F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110 020, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,00,000 (Rupees twenty five lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹ 1,24,99,80,000 for issue of Compulsorily Convertible debentures bearing distinctive No. 1 to 1249980 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (2027)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15326.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बुडेनहेम इण्डिया प्रा. लि., 507-508 डीएलएफ टावर-ए, जसोला डिस्ट्रीक सेंटर, नई दिल्ली-110 025 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,10,05,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 3100500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 31,005 (रुपये इकतीस हजार पांच) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2027)/COS(HQ)/Cons. Duty/15326.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Budenheim India Pvt. Ltd., 507-508, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi-110025 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 31,005 (Rupees thirty one thousand five) only on the aggregate value of shares of ₹ 3,10,05,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 3100500 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (2028)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15327.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ईकेओ इण्डिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि., 547 मंदाकनि एन्क्लेव, अलकनन्दा, नई दिल्ली-110 016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,13,50,009 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1390126 से 1437068 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 51,351 (रुपये इक्क्यावन हजार तीन सौ इक्क्यावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2028)/COS(HQ)/Cons. Duty/15327.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. EKO India Financial Services Pvt. Ltd., 547, Mandakani Enclave, Alaknanda, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 51,351 (Rupees fifty one thousand three hundred fifty one) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,13,50,009 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1390126 to 1437068 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (2031)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15328.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ईकेओ इण्डिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि., 547 मंदाकनि एन्क्लेव, अलकनन्दा, नई दिल्ली-110 016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 24,86,62,848 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1437069 से 1907468 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,48,663 (रुपये दो लाख अड़तालीस हजार छः सौ तिरसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2031)/COS(HQ)/Cons. Duty/15328.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. EKO India Financial Services Pvt. Ltd., 547, Mandakani Enclave, Alaknanda, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,48,663 (Rupees two lakh forty eight thousand six hundred sixty three) only on the aggregate value of shares of ₹ 24,86,62,848 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1437069 to 1907468 to be issued by the said company.

दिल्ली, 8 अगस्त, 2011

सं. फा.10 (2030)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15526.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मिले इण्डिया प्रा. लि., भू-तल, स्ट्यूट नं. 1 से 5, कोपिया, कर्माशियल प्लॉट नं. 9, जसोला, नई दिल्ली-110025 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 39968900 से 43468900 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 35,000 (रुपये पैंतीस हजार) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 8th August, 2011

F. No. 10 (2030)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15526.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Miele India Pvt. Ltd., Ground Floor, Suite No. 1 to 5, Copia, Commercial Plot No. 9, Jasola, New Delhi-110025 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 35,000 (Rupees thirty five thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 3,50,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 39968900 to 43468900 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2029)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15527.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के

3085 DG/11-2

मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वोलेट इण्डिया प्रा. लि., 1211, चिरंजीव टावर, 43, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,10,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 1100000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 11,000 (रुपये ग्यारह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2029)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15527.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vollert India Pvt. Ltd., 1211, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 11,000 (Rupees eleven thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,10,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 1100000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 9 अगस्त, 2011

सं. फा.10 (2033)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15592.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जिन्दल इण्डिया थर्मल पावर लि., प्लॉट नं.-12, सेक्टर बी-1, लोकल शॉपिंग सेन्टर, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,80,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 518444051 से 518552050 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,080 (रुपये एक हजार अस्सी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 9th August, 2011

F. No. 10 (2033)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15592.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jindal India Thermal Power Ltd., Plot No. 12, Sector-B-1, Local Shopping Centre, Vasant Kunj, New Delhi-110070 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,080 (Rupees one thousand eighty) only on the aggregate value of shares of ₹ 10,80,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 518444051 to 518552050 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2020)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./15593.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जिन्दल इण्डिया थर्मल पावर लि., प्लॉट नं.-12, सेक्टर बी-1, लोकल शॉपिंग सेन्टर, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 11,50,30,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 506941051 से 518444050 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,15,030 (रुपये एक लाख पन्द्रह हजार तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2020)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15593.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jindal India Thermal Power Ltd., Plot No. 12, Sector-B-1, Local Shopping Centre, Vasant Kunj, New Delhi-110070 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,15,030 (Rupees one lakh fifteen thousand thirty) only on the aggregate value of shares of ₹ 11, 50, 30,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 506941051 to 518444050 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2021)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./15637.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 (अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पुरार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. छठी मंजिल, विक्रान्त टावर 4, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,96,25,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 107800001 से 108592500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 39,625 (रुपये उन्चालीस हजार छः सौ पच्चीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2021)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15637.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Purearth Infrastructure Ltd. Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 39,625 (Rupees thirty nine thousand six hundred twenty

five) only on the aggregate value of shares of ₹ 3,96 25 ,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 107800001 to 108592500 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1981)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./15640.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 (अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अर्टसना इण्डिया प्रा. लि., ए-10, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 6,73,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1271701 से 1339000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 67,300 (रुपये सड़सठ हजार तीन सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1981)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15640.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Artsana India Pvt. Ltd., A-10, Green Park, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 67,300 (Rupees sixty seven thousand three hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 6, 73, 00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1271701 to 1339000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 10 अगस्त, 2011

सं. फा.10 (2018)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./15662.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एलएमए फाउण्डेशन, दूसरी मंजिल, 21-22, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्कलेव नई दिल्ली-110029, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 10th August, 2011

F. No. 10 (2018)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15662.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue

Authority, Delhi hereby directs that M/s. LMA Foundation, 2nd Floor, 21-22, Krishna Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2023)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./15663.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बोम्बार्डियर एयरोस्पेस इण्डिया प्रा. लि., C/o परफेक्ट एकाउन्टिंग एण्ड शेयर्ड सर्विसेज प्रा. लि., ई-20, पहली और दूसरी मंजिल, हौज खास, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,74,99,780 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 250001 से 288043 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 17,500 (रुपये सत्रह हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2023)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15663.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bombardier Aerospace, India Pvt. Ltd. C/o Perfect Accounting & Shared Services Pvt. Ltd., E-20, 1st & 2nd Floor, Hauz Khas, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 17,500 (Rupees seventeen thousand five hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,74,99,780 for equity shares certificates with distinctive Nos. 250001 to 288043 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2013)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./15664.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बेलमे फ्रेगरेन्सेज इण्डिया प्रा. लि. दूसरी मंजिल, 21-22, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्कलेव नई दिल्ली-110029 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,80,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 68000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 580 (रुपये पाँच सौ अस्सी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2013)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15664.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-

section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Belmay Fragrances India Pvt. Ltd., 2nd Floor, 21-22, Krishna Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 580 (Rupees five hundred eighty) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,80,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10001 to 68000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (2000)/मु.स.(मुख्या.)/स. शु./15665.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना, का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इण्डोरामा इण्डस्ट्रीज लि., 401, विक्रान्त टावर, चौथी मंजिल, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,45,05,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 18777771 से 19519520 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 44,505 (रुपये चब्वालीस हजार पाँच सौ पाँच) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2000)/COS(HQ)/Cons.Duty/15665.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E), dated the 4th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Indorama Industries Ltd., 401, Vikrant Tower, 4th Floor, Rajendra Place, New Delhi- 110008 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 44,505 (Rupees forty four thousand five hundred five) only on the aggregate value of shares of ₹4,45, 05,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 18777771 to 19519520 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (2011)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु./15666.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रीजेन्सी टेक्सट्रेड प्रा.लि., 5ए/19, अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली-110002 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 90,63,600 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 85531 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 9,064 (रुपये नौ हजार चौंसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2011)/COS(HQ)/Cons. Duty/15666.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of

3085 DG/11-3

sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Regency Textrade Pvt. Ltd., 5A/19, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 9,064 (Rupees nine thousand sixty four) only on the aggregate value of shares of ₹ 90,63,600 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10001 to 85531 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2022)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु./15667.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बर्टल्समान कॉर्पोरेट सर्विसेज इण्डिया प्रा. लि., अंसल लक्ष्मी दीप, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रीक सेन्टर, दिल्ली-110092 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,90,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 50000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 19,000 (रुपये उन्नीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2022)/COS(HQ)/Cons. Duty/15667.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bertelsmann Corporate Services India Pvt. Ltd., 208, Ansal's Laxmi Deep, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 19,000 (Rupees nineteen thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,90,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 50000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2012)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु./15668.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जयश्री ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि., ए-40, मोहन कॉर्पोरेटिव इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,93,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3096001 से 3289000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 19,300 (रुपये उन्नीस हजार तीन सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2012)/COS(HQ)/Cons. Duty/15668.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-

section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jaycee Automobiles Pvt. Ltd., A-40, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 19,300 (Rupees nineteen thousand three hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,93,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 3096001 to 3289000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2016)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु./15669.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इण्डोरामा इण्डस्ट्रीज लि., 401, विक्रान्त टावर, चौथी मंजिल, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 17,26,38,464 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 19519521 से 22216996 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,72,639 (रुपये एक लाख बहतर हजार छः सौ उन्तालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2016)/COS(HQ)/Cons. Duty/15669.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Indorama Industries Ltd., 401, Vikrant Tower, 4th Floor, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,72,639 (Rupees one lakh seventy two thousand six hundred thirty nine) only on the aggregate value of shares of ₹ 17,26,38,464 for equity shares certificates with distinctive Nos. 19519521 to 22216996 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(1969)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु./15670.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिनर्जीक्स हाइड्रो (इण्डिया) प्रा. लि., जे-20, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 44,31,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 404211 से 847310 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4,431 (रुपये चार हजार चार सौ इकत्तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1969)/COS(HQ)/Cons. Duty/15670.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of

sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Synergics Hydro (India) Pvt. Ltd., J-20, Sarita Vihar, New Delhi-110076 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 4,431 (Rupees four thousand four hundred thirty one) only on the aggregate value of shares of ₹ 44,31,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 404211 to 847310 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2026)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु./15671.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री तेइसी ओन्चो इण्डिया प्रा. लि., स्पूट नं. जी-8, ए-30, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 7,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या N-2500001 to N-10000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 75,000 (रुपये पचहत्तर हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2026)/COS(HQ)/Cons. Duty/15671.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Taisei Oncho India Pvt. Ltd., Suit No. G-8, A-30, Kailash Colony, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 75,000 (Rupees seventy five thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 7,50,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. N- 2500001 to N-10000000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2025)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु./15672.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बोर्गेस इण्डिया प्रा. लि., ए-10, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,76,20,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2706811 से 6468810 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 37,620 (रुपये सैंतीस हजार

छ: सौ बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2025)/COS(HQ)/Cons. Duty/15672.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Borges India Pvt. Ltd., A-10, Green Park, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 37,620 (Rupees thirty seven thousand six hundred twenty) only on the aggregate value of shares of ₹ 3,76,20,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 2706811 to 6468810 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2032)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु./15673.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कन्वोथर्म इण्डिया प्रा. लि., बी-66, ओखला, फेज-1, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 99,99,994 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 405136 से 1003937 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,000 (रुपये दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10(2032)/COS(HQ)/Cons. Duty/15673.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Convotherm India Pvt. Ltd., B-66, Okhla, Phase-1, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 10,000 (Rupees ten thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 99,99,994 for equity shares certificates with distinctive Nos. 405136 to 1003937 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority,
Government of National Capital Territory of Delhi

R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)